



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263142
CG-DL-E-16052025-263142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2121]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे]

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

का.आ. 2171(अ).— भारत सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20। (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, यह घोषित करती है कि वह इस अधिसूचना के परिशिष्ट में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है। यह अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य हेतु किया जा रहा है, अर्थात् “विशेष रेलवे परियोजना – गढ़ी हरसरु में Y कनेक्शन (नई रेलवे लाइन 2.50 किमी) का निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन एवं संचालन करने के लिए।” यह परियोजना हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के हरसरु तहसील के वजीरपुर गांव में स्थित भूमि पर लागू होगी।

कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त भूमि में स्वामित्व या अधिकार हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। यह आपत्ति रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 घ (1) के तहत दी जा सकती है।

हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) गुरुग्राम, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपत्ति के आधार और भूमि में आपत्तिकर्ता की रुचि का उल्लेख होगा।

सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा यदि आवश्यक हो तो आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 घ के उपखंड (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले की हरसरु तहसील के वजीरपुर गांव में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् गढ़ी हरसरु (नई लाइन) (2.50 किमी) पर उलटाव से बचने के लिए गढ़ी हरसरु में वाई कनेक्शन के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

1	जिले का नाम	गुरुग्राम
2	तहसील का नाम	हरसरु
3	गांव का नाम	वजीरपुर

क्रम संख्या I	सर्वे / खसरा I नंबर	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल		
				(हेक्टेयर)	कनाल	मरला
1	2	3	4	5	6	7
1	16//8/2	चाही	निजी	0.0278	0	11
2	16//13/1	चाही	निजी	0.1265	2	10
3	19//3	चाही	निजी	0.1366	2	14
4	19//8	चाही	निजी	0.0379	0	15
5	16//2	चाही	निजी	0.2074	4	2
6	16//9/2	चाही	निजी	0.0405	0	16
7	16//12	चाही	निजी	0.1265	2	10
8	16//19	चाही	निजी	0.0658	1	6
9	16//22	चाही	निजी	0.0607	1	4
10	19//2	चाही	निजी	0.1062	2	2
11	19//9	चाही	निजी	0.2049	4	1
12	19//12	चाही	निजी	0.2580	5	2
13	19//19	चाही	निजी	0.1088	2	3

14	7//21	चाही	सरकारी	0.1846	3	13
15	16//1	चाही	निजी	0.0253	0	10
16	19//11	चाही	निजी	0.0101	0	4
17	19//20	चाही	निजी	0.2125	4	4
18	8//16	बंजर कदीम	निजी	0.0405	0	16
19	8//25	चाही	सरकारी	0.0025	0	1
20	20//25	चाही	निजी	0.0835	1	13
21	16//23/1	चाही	निजी	0.1821	3	12
22	16//18/3	चाही	निजी	0.1821	3	12
23	16//9/1	चाही	निजी	0.1897	3	15
24	28//4	चाही	निजी	0.0126	0	5
25	19//21	चाही	निजी	0.0885	1	15
26	111	चाही	सरकारी	0.0228	0	9
				2.7443	54	5

[फा.सं. 168-W/Land/Garhi Harsaru]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railways]

(Construction Organization)

NOTIFICATION

New Delhi, 28th April, 2025

S.O. 2171(E).— The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 20A (1) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), as amended by the Railways (Amendment) Act, 2008, hereby declares its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the public purpose, namely for the execution, maintenance, management, and operation of the special railway project, Y Connection at Garhi Harsaru to avoid reversal at Garhi Harsuru (NEW LINE) (2.50 Km)".in village **wazirpur** of Tehsil **Harsaru** in district **Gurugram** of **Haryana** state required for the special railway project, ".

Any person interested in the said land may, within 30 days from the date of publication of this notification, object to the acquisition of the land for the purposes mentioned above, as provided under sub-section (1) of Section 20D of the Railways Act, 1989.

Every objection shall be made to the Competent Authority, namely the **Sub Divisional officer (Civil) Gurugram**, in writing, and shall state the grounds of objection and the interest of the objector in the land. The competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the Railways Act, 1989 shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available in the office of the competent authority for inspection by the interested persons.

SCHEDULE		
A brief description of the land to be acquired with or without structures for the special Railway Project namely “ Y Connection at Garhi Harsaru to avoid reversal at Garhi Harsaru (NEW LINE) (2.50 Km) ”. in village wazirpur of Tehsil Harsaru in district Gurugram of Haryana state		
1	Name of District	Gurugram
2	Name of Tehsil	Harsaru
3	Name of Village	wazirpur

Sr. No.	Survey No /Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	AREA		
				Hectares	KANAL	MARLA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	16//8/2	Chahi	Private	0.0278	0	11
2	16//13/1	Chahi	Private	0.1265	2	10
3	19//3	Chahi	Private	0.1366	2	14
4	19//8	Chahi	Private	0.0379	0	15
5	16//2	Chahi	Private	0.2074	4	2
6	16//9/2	Chahi	Private	0.0405	0	16
7	16//12	Chahi	Private	0.1265	2	10
8	16//19	Chahi	Private	0.0658	1	6
9	16//22	Chahi	Private	0.0607	1	4
10	19//2	Chahi	Private	0.1062	2	2
11	19//9	Chahi	Private	0.2049	4	1
12	19//12	Chahi	Private	0.2580	5	2
13	19//19	Chahi	Private	0.1088	2	3
14	7//21	Chahi	Government	0.1846	3	13
15	16//1	Chahi	Private	0.0253	0	10
16	19//11	Chahi	Private	0.0101	0	4
17	19//20	Chahi	Private	0.2125	4	4
18	8//16	b. Kadeem	Private	0.0405	0	16
19	8//25	Chahi	Government	0.0025	0	1
20	20//25	Chahi	Private	0.0835	1	13
21	16//23/1	Chahi	Private	0.1821	3	12
22	16//18/3	Chahi	Private	0.1821	3	12
23	16//9/1	Chahi	Private	0.1897	3	15

24	28//4	Chahi	Private	0.0126	0	5
25	19//21	Chahi	Private	0.0885	1	15
26	111	Chahi	Government	0.0228	0	9
				2.7443	54	5

[F. No. 168-W/Land/Garhi Harsaru]

SHYAM SINGH, Chief Admn. Officer/Construction-II

S